5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क /रिव्यू/2015

रिव्यू 2110-PBR-15

फूलचन्द —प्रार्थी

बनाम

मांगीलाल – प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पुर्नविलोकन विरूद्ध प्र.क. आर–1715 पी बी आर/2015 मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2015

~~श्रीमानजी,~~

प्रार्थी की ओर से ...

(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 2110–PBR/15 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है और अंतिम निराकरण किया जाना है । अतः आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बिन्दुओं को उठा सकते हैं । इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित आधारों में से कोई भी आधार इस पुनर्विलोकन प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	